भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1415

गुरूवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

निधियों का कम उपयोग

1415 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा 2023-24 के लिए आवंटित धनराशि का केवल एक-तिहाई और 2024-25 के लिए छठे भाग से भी कम धनराशि का उपयोग किया गया है, यदि हाँ, तो धनराशि के इस निरंतर कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ख) क्या मंत्रालय प्रक्रियागत देरी को दूर करने और वास्तविक समय निगरानी बढ़ाने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार एक एकीकृत डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्रणाली (आईडीपीएमएस) अपनाने का प्रस्ताव रखता है; और

(ग) प्रशासनिक बाधाओं और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पर्यटन मंत्रालय का बजट आवंटन और वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2023-24	2400.00	1692.10	801.81
2024-25	2479.62	850.36	449.14

उपरोक्त से स्पष्ट है कि संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में कम निधि उपयोग की गई जो उक्त दोनों वर्षों में संशोधित अनुमानों की लगभग आधी है और यह कमी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी बताई गई है। सभी योजनाओं में निधि के कम उपयोग के प्रमुख कारण निम्नानुसार है:

i. **संक्रमण और प्रक्रियागत परिवर्तन:** नई प्रणालियों जैसे कि संशोधित स्वदेश दर्शन 2.0 और चुनौती-आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) में निधि एकल खाता (टीएसए-1) मॉडल को

अपनाने के लिए मंत्रालय और राज्यों द्वारा संरेखण के लिए समय की आवश्यकता थी, जिससे निधि उपयोग में देरी हुई।

ii. **कार्यान्वयन संबंधी निर्भरताएं:** कई योजनाएँ राज्य सरकारों, केंद्रीय एजेंसियों या स्वायत्त निकायों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। धीमी निविदा प्रक्रिया, प्रारंभिक परियोजना पाइपलाइन का अपर्याप्त होना, क्षमता की कमी, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना और आवश्यक दस्तावेज़ों का देर से प्राप्त होना जैसे कारकों के कारण विलंब हुआ।

iii. **प्रणाली-स्तरीय बाधाएं:** केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के कार्यढांचे के तहत प्रतिबंध (जैसे, किसी निश्चित समय पर निधि की उपलब्धता पर सीमाएं), पीएफएमएस में कई एजेंसियों का एकीकरण और पुरानी लेखा प्रणालियों को बदलने में किए गए अपेक्षित प्रयास के कारण निधि जारी करने और उसके उपयोग की गति पर प्रभाव पड़ा।

iv. **जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन संबंधी समस्याएं:** कई परियोजनाओं को स्थानीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता, अनुमोदन या हस्तांतरण में विलंब और स्थल-विशिष्ट कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं।

उल्लेखनीय रूप से, विदेशी संवर्धन एवं प्रचार (ओपीपी) तथा आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजनाओं के अंतर्गत संबंधित वर्षों के संशोधित अनुमानों के संबंध में निधि के उपयोग में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आई। इन योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग बड़े पैमाने पर नियोजित मानकों के अनुसार या उससे परे किया गया।

(ख): वर्तमान में, पर्यटन मंत्रालय में एकीकृत डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्रणाली (आईडीपीएमएस) को अपनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जैसा कि संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है।

(ग): प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय में सुधार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अपनी योजनाओं के संबंध में कई सक्रिय कदम उठाए हैं:

i. **नई परियोजनाओं की एक मज़बूत पाइपलाइन का निर्माण:** एसडी 2.0 के भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में 2108.87 करोड़ रु. की 52 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) नामक उप-योजना के अंतर्गत 648.10 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाओं को भी मंज़ूरी दी है। इसके परिणामस्वरूप अब नई परियोजनाओं की एक मज़बूत पाइप लाइन का निर्माण हुआ है।

ii. **बेहतर निधि संवितरण तंत्र:** निधि एकल खाता (टीएसए) प्रणाली को लागू करने में आई प्रारंभिक चुनौतियों का समाधान करने के बाद, इस तंत्र ने निधि संवितरण को काफी हद तक सुव्यवस्थित कर दिया है और विभिन्न योजनाओं में परियोजना के निष्पादन को गति प्रदान की है।

iii. **बेहतर निगरानी और समन्वय:** मंत्रालय, परियोजना की प्रगति की निगरानी, समस्याओं के समाधान और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें, परामर्श और अनुवर्ती कार्रवाई करता है। इनमें केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति और मिशन निदेशालय जैसी समितियों को आवश्यकतानुसार शामिल किया जाता है।

iv. **कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए जवाबदेही के उपाय:** आईएचएम, एनसीएचएमसीटी और आईआईटीटीएम जैसे कार्यान्वयन निकायों को एक निर्दिष्ट समय-सीमा (आमतौर पर तीन महीने) के भीतर निधियों का उपयोग करने के लिए लिखित अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होती है। निधि जारी करने की प्रक्रिया को अब निधि के उपयोग की वास्तविक क्षमता के साथ बेहतर ढंग से संरेखित किया गया है।

v. **निधि उपयोग के लिए तत्परता:** सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) जैसी योजनाओं के लिए नियोजित व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त प्रस्ताव मौजूद हैं, जिसमें, संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त निधि यदि आवश्यक हो प्राप्त करने का प्रावधान भी है।

इन कदमों का समग्र उद्देश्य परियोजना कार्यान्वयन को मजबूत करना, समय पर निधि का उपयोग सुनिश्चित करना और प्रशासनिक देरी को न्यूनतम करना है।

*****